भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3235

(दिनांक 23.03.2022 को उत्तर के लिए)

चाइल्ड केयर लीव

3235. श्री भोला सिंह :
श्री विनोद कुमार सोनकर :
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
डॉ. सुकान्त मजूमदार :
श्री राजा अमरेश्वर नाईक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महिला अधिकारियों/कार्मिकों को उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए उन्हें चाइल्ड केयर लीव देती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी सरकारी कार्यालयों अधीनस्थ, कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों पर लागू निबंधन और शर्तें क्या हैं;
(ग) क्या परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान महिला अधिकारियों/कार्मिकों को सीसीएल नहीं देने का कोई प्रावधान है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ड.) क्या कार्य की आवश्यकता के मामले में महिला अधिकारियों/कार्मिकों को सीसीएल देने से इंकार किया जा सकता है;
(च) यदि हां, तो इस संबंध में नियम क्या हैं;
(छ) क्या सरकार को महिला अधिकारियों/कार्मिकों को सीसीएल देने से इंकार करने के संबंध में शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और
(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) एवं (ख) : जी हाँ। संघ के कार्यों से संबंधित सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त महिला सरकारी सेवक केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43-ग के अंतर्गत चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के लिए निम्नलिखित रूप से पात्र हैं:

(i) 18 वर्ष तक की आयु के दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल करने के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम सात सौ तीस दिनों की अवधि के लिए।
(ii) नि:शक्त बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं।
(iii) एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए नहीं।
(iv) एकल महिला सरकारी सेवक के मामले में, एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार में सीसीएल मंजूरी को एक कैलेंडर वर्ष में छह बार तक बढ़ाया जाएगा।

(ग) और (घ) : नियम 43-ग(3) के अनुसार, कतिपय अत्यावश्यक स्थितियों के मामले को छोड़कर, जहां छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी परिवीक्षाधीन कार्मिक की सीसीएल की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट है, साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान सीसीएल प्रदान नहीं की जाएगी, बशर्ते कि ऐसी छुट्टी न्यूनतम अवधि के लिए स्वीकृत की गई हो।

(ड) और (च) : सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43-ग के अनुसार, सीसीएल की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है और किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी पूर्व अनुमोदन के बिना सीसीएल पर नहीं जा सकता है।

(छ) और (ज) : ऐसा कोई आंकड़ा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है क्योंकि छुट्टी प्रदान करने की शक्ति सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में निहित है।

*****